



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2331]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 17, 2019/आषाढ़ 26, 1941

No. 2331]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 17, 2019/ASHADHA 26, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2019

का.आ. 2560(अ).—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आयकर नियमावली, 1962 (उक्त नियमावली) के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनार्थ **मैसर्स नेशनल सेटर् फॉर सेल साइंस 'पूणे (पैन: एएएटीएन0848बी)** नामक संगठन को कर **निर्धारण वर्ष 2019-20 और इससे आगे की अवधि के लिए** केंद्र सरकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए **'वैज्ञानिक शोध संघ'** की श्रेणी के रूप में अनुमोदित करती है यथा:-

- इस अनुमोदित 'वैज्ञानिक शोध संघ' का एकमात्र उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना होगा;
- यह अनुमोदित संगठन स्वयं ही वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य संपन्न करेगा।
- अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशि संबंधित **अलग बहीखाता** रखेगा और जिसमें अनुसंधान के लिए प्रयुक्त राशि को विनिर्दिष्ट दर्शाई गई ऐसी खाता बहियों को उक्त अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में यथा विनिर्दिष्ट किसी लेखाकार से लेखा परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक, ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट, ऐसे मामलों से संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;
- अनुमोदित संगठन, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त राशि तथा **दान का अलग विवरण रखेगा** तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त राशि तथा इस प्रकार के अनुदान का प्रयोग केवल मूल अनुसंधान गतिविधियों के लिए ही किया जाएगा और उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।

- (v) यह अनुमोदित संगठन धारा 139 की उपधारा (1) के तहत आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख तक आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को एक विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी:-
- पूर्व वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य का एक विस्तृत टिप्पणः
 - उक्त वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित अनुसंधान अनुच्छेदों का सारांशः
 - उक्त वर्ष के दौरान किसी पेटेंट या इसी प्रकार के किसी अन्य अधिकार के लिए आवेदन या पंजीकरण
 - इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए वित्तीय आवंटन तथा आगामी वर्ष के दौरान किए जाने वाले अनुसंधान प्रोजेक्टों का कार्यक्रम

2. केंद्र सरकार यह अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन:-

- (क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित **अलग बही खाता** नहीं रखता है; अथवा
- (ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाता है; अथवा
- (ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में यथा उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान एवं प्रयुक्त धनराशि का विवरण प्रस्तुत नहीं करता है; अथवा
- (घ) अपने अनुसंधान कार्य कलापों को करना बंद कर देता है अथवा इसके अनुसंधान कार्य कलापों को यथोचित नहीं पाया जाता है; अथवा
- (ङ.) उक्त नियमावली के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं रहता है तथा उनका पालन नहीं करता है।

[अधिसूचना सं. 53/2019/फा. सं. 203/18/2018-आ.क.नि.-II]

राजाराजेश्वरी आर., अवर सचिव